बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या– 2395, दिनांक 12.05.2008 में किए गए प्रावधान के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु एवं मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत विभाग से संबंधित क्रियान्वित कराये जा रहे विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति की स्वतंत्र निगरानी हेतु राज्य सरकार ने सभी जिलों में सेवानिवृत प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का एक जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monity DQM) का पैनल गठित करने का निर्णय लिया है।

2. **DQM द्वारा किए जानेवाले कार्य की विवरणी :–**

(i) DQM की सूचीबद्धता कार्य आधारित होगी, उन्हें उन क्षेत्रों का भ्रमण करना होगा, जहाँ वास्तव में योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। भ्रमण के दोरान उन्हें लाभान्वितों से मिलकर योजनाओं की जानकारी, क्रियान्वयन की स्थिति तथा सृजित परिसंपत्तियों की गुणात्मक जाँच करनी होगी। भ्रमण कार्यक्रम जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वे अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देंगें।

(ii) DQM को उन योजनाओं की भी जाँच करनी होगी जो नगर के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा जिला में चलाया जा रहा है। चलाये जा रहे योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की भी जाँच कर वे अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगें।

3. **सूचीवद्धता की शर्तें :–**

(i) DQM में सूचीवद्ध होने के पात्र केवल वही प्रशासनिक एवं तकनीकि पदाधिकारी होंगें जो न्यूनतम अपर समाहर्त्ता एवं कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए हों।

(ii) DQM का चयन 2 वर्षो के सूचीबद्धता के आधार पर किया जायेगा। उनके द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। सेवा संतोषप्रद रहने पर उनकी सेवा विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में जिला पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय उनकी सूचीवद्धता रद्द की जा सकेगी।

(iii) DQM को प्रतिदिन (जिस दिन भ्रमण एवं जाँच जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार की जाती है) 1500/– रु० मानदेय देय होगा। साथ ही प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 3000/– रु० अलग से दिया जायेगा। DQM का भुगतान जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा जिसके लिए वे आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग से आवंटन प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) संबंधित जिला के निवासी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत पदाधिकारी ही सूचीवद्ध होने के योग्य होंगें।

4. **सूचीवद्ध होने के इच्छुक सेवानिवृत पदाधिकारियों का चयन।**

(i) सूचीबद्ध होने के इच्छुक पदाधिकारियों का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें जिला मुख्यालय के नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य रहेंगे।

(ii) जिला पदाधिकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार के माध्यम से राज्य के दो प्रमुख (हिन्दी एवं अंग्रेजी) समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराकर सूचीबद्ध होने के इच्छुक सेवानिवृत पदाधिकारियों से आवेदन प्राप्त करेंगें। प्राप्त आवेदनों में से चयन समिति द्वारा योग्य पदाधिकरियों का चयन कर उसकी सूची जिला पदाधिकारी प्रकाशित करेंगें।

ह०/–
प्रधान सचिव।

D:\Misc\SQM.Docx

email

ज्ञापांक–09/न०वि०(DQM)प्रको-02/17/172/– न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक :– 18-05-17

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/5/2017

प्रधान सचिव।

D:\Misc\SQM.Docx